न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 41/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. नेमीचन्द पुत्र श्री भानाराम जाति रैगर निवासी नांगल (बाय) तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार/भूमि धारक जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. **श्री शंकर लाल खैरिया, वकील प्रार्थी ओर सें।**

निर्णय   दिनांक – 10.12.2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ग्राम नांगल तन बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी के पिता का नाम भानाराम व दादा का नाम मुन्नाराम है एवं यही नाम प्रार्थी के आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचानपत्र, ग्राम पंचायत बाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में दर्ज चला आ रहा है। परन्तु खाता संख्या 12 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1513 रकबा 1.61 हैक्टेयर वाके ग्राम बाय पटवार हल्का बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी के पिता का हक हिस्सा 1/2 कब्जे, काश्त एवं खातेदारीशुदा है जिसमें प्रार्थी के दादा का नाम संहवन सें भानाराम पुत्र मोहनलाल हि0 1/2 दर्ज है जबकि प्रार्थी के दादा का सही व वास्तविक नाम भानाराम पुत्र मुन्नाराम है। प्रार्थी के पिता भानाराम का स्वर्गवास हो चुका है इसके वारिसान प्रार्थी व इसके अलावा दुर्गादेवी पत्नि भानाराम, मंगलीदेवी, सेवलीदेवी, पतासीदेवी, कमलादेवी, पुत्रियां भानाराम एवं घींसालाल पुत्र भानाराम है। प्रार्थी व अन्य वारिसान मृतक भानाराम की उपोक्त कृषि भूमि हिस्सा 1/2 र काबिज काश्त है। प्रार्थी के पिता के आगे दादा का नाम आधारकार्ड, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र, वारिश प्रमाणपत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों में सही नाम भानाराम पुत्र मुन्नाराम दर्ज है जो सही है। परन्तु केवल राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या 12 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1513 में प्रार्थी के दादा का नाम गलत रूप सें मोहनलाल दर्ज है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर ग्राम बाय के खसरा नम्बर 1513 रकबा 1.61 हैक्टेयर में प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

पिता के नाम के आगे प्रार्थी के दादा का नाम भानाराम पुत्र मोहनलाल को दुरूस्त कर भानाराम पुत्र मुन्नाराम जाति रैगर निवासी नांगल संशोधित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता के नाम के आगे प्रार्थी के दादा का नाम भानाराम पुत्र मोहनलाल को दुरूस्त कर भानाराम पुत्र मुन्नाराम दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया कि खातेदार का नाम भानाराम पुत्र मुन्नाराम शुद्धि किया जाना उचित है अर्थात मुन्नाराम उर्फ मोहनलाल करना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, तहसीलदार रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर **प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बाय तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 1513 रकबा 1.61 हैक्टेयर में खातेदार भाना पुत्र मोहन के स्थान पर भानाराम पुत्र मुन्नाराम उर्फ मोहनलाल हि0 1/2 जाति रैगर सा0देह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner